

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-5456 / 2022

जगन्नाथ (कर्मचारी आई.डी.-आरजेबीपी199207020149)

—अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. एवं अभियांत्रिकी विभाग,  
शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022

आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

एम.एस. काला, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पंप चालक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी दिनांक 27.06.1995 के द्वारा बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया था, तब अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास थी। किंतु अधिशाषी अभियंता पीएचईडी, डीग द्वारा 07.11.1996 के द्वारा आठवीं पास बेलदारों को सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई थी तथा अपीलार्थी को सहायक के पद पर सेमी-परमानेंट से नियुक्ति नहीं दी तथा अपीलार्थी के साथ के अन्य बेलदारों को सहायक के पद पर नियुक्ति किया गया था। अपीलार्थी को 5 वर्ष बाद 27.06.1995 को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया जबकि अपीलार्थी को 2 वर्ष पश्चात् दिनांक 01.03.1992 को अर्द्धस्थायी घोषित किया जाना चाहिए था तथा अपीलार्थी को 01.03.1992 से ही सहायक का वेतनमान अधिकारी है। समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू 3040/89 दुर्जन सिंह बनाम स्टेट व अन्य व्यक्तियों को अर्द्धस्थायी तिथि से सहायक का वेतनमान दिया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)